



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245677
CG-DL-E-04052023-245677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1991]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1991]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2079(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला भू - अर्जन पदाधिकारी कार्यालय, भागलपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 80) के कि.मी. 55 में गेरुआ नदी पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल के पहुँच पथ पर निर्माण कार्य हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , भागलपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी. 155 से 155 तक	बिहार	भागलपुर	कोलगंग	1 परमानंदपुर खवास

[फा. सं. RW/PAT/NH-80/Km 55/Gerua/LA/2023]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2079(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of two lane PSC HL bridge with footpath across river Gerua in km 155 of NH-80 in the State of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. -80 in the State of BIHAR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer ,Bhagalpur	155KM To 155KM	BIHAR	BHAGALPUR	Kolgang	1 Parmanandpur Khawas

[F. No. RW/PAT/NH-80/Km 55/Gerua/LA/2023]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.